(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कठिनाई निवारण
आदेश संख्या 2/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, दिनांक 08 मार्च, 2019

का.आ. (अ.)- .... जहां कि केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उप धारा (3) के खंड (iii) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (vii) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो, टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल जारी करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के उक्त खंड के दायरे में नहीं आता है को, टैक्स इनवायस जारी करना होगा;

अतः, अब, संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कठिनाइयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक — इस आदेश को माल एवं सेवाकर (कठिनाइयों का द्वितीय निवारण) आदेश, 2019 कहा जाएगा ।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (vii) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (**दर**) , दिनांक 07.03.2019, जिसे सा.का.नि. संख्या 191 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो ।

[फाइल संख्या 354/25/2019-टीआरयू]

(श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार